भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 7098

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 मई, 2015/18 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

<u>गूगल के विरूद्ध शिकायत</u>

7098. श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गूगल द्वारा अपने खोज विज्ञापन सेवाओं में कथित रूप से भेदभाव किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल द्वारा अपने खोज इंजन के माध्यम से विज्ञापन करने की जांच कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या इस संबंध में सरकार को कोई वित्तीय हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को गूगल द्वारा प्रभावी स्थिति के कथित दुरुपयोगों के चार मामले प्राप्त हुए हैं। सीसीआई ने अपने महानिदेशक (डीजी) को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन इन मामलों की जांच करने का निदेश दिया है। महानिदेशक, सीसीआई द्वारा मैसर्स कॉनसिम इंफो प्राइवेट लिमिटेड और कंज्यूमर यूनिटि एंड ट्रस्ट सोसायटी द्वारा दायर दो मामले में, दोनों मामले गूगल इंक और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध थे, समेकित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दो अन्य मामले श्री विशाल गुप्ता द्वारा मैसर्स गूगल इंक, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और मैसर्स गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स एलबियन इंफोटेल लिमिटेड द्वारा मैसर्स गूगल इंक, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और मैसर्स गूगल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विरूद्ध दायर किए गए हैं।

(घ) : दायर मामलों में सरकार को किसी प्रकार की वित्तीय हानि होने का आरोप नहीं लगाया गया है।

*****